36वें इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में मानवाधिकारों को लेकर मंथन

मानवाधिकारों को संरक्षित करना सरकार का कर्तव्य : जस्टिस व्यास

जयपुर | राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने कहा है कि मानव अधिकारों को संरक्षित करना सरकार का कर्तव्य है। संविधान में भी डॉ. भीमराव अंबेडकर ने नागरिकों के जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही है। विश्व के सभी देशों में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे में यह सवाल है कि मानव अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। जस्टिस व्यास ने यह बात बुधवार को मानवाधिकार आयोग, संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 36वें इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में कही।

जस्टिस व्यास ने राजस्थान सरकार की चिरंजीवी व इंद्रा रसोई योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया करा रही है। इस मौके पर उन्होंने न्यूजलेटर का भी अनावरण किया।

न्यूज लेटर का अनावरण करते जस्टिस व्यास व अन्य।

प्रोग्राम में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के निदेशक बीएम शर्मा ने मानवाधिकार में गांधी के दर्शन शास्त्र का महत्व बताया। विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने विधानसभा के कामकाज की जानकारी दी। प्रोग्राम में बांग्लादेश, कंबोडिया, गाम्बिया, घाना, गिनी, इराक, किर्गिस्तान, मैसेडोनिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, सेशेल्स, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तंजानिया, उरुग्वे और जिम्बाब्वे देशों के प्रतिनिधि आए। स्वागत भाषण उप सचिव सीमा शर्मा ने और आयोग के रजिस्ट्रार शैलेन्द्र व्यास ने धन्यवाद दिया।

मानव अधिकारों को संरक्षित करना सरकार का कर्तव्य : जस्टिस व्यास

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने कहा है कि मानव अधिकारों को संरक्षित करना सरकार का कर्तव्य है।

संविधान में भी डॉ. भीमराव अंबेडकर ने नागरिकों के जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही है। कई देशों में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और ऐसे में यह सवाल है कि मानव अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जा सके। जस्टिस व्यास ने यह बात बुधवार को मानवाधिकार आयोग, संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज के संयुक्त तत्वाधान में हुए 36 वें इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में कही है। जस्टिस व्यास ने चिरंजीवी व इंदिरा रसोई योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। राज्य सरकार निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया करा रही है। देशभर में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए काम हो रहा है। उन्होंने न्यूज लेटर का भी अनावरण किया। प्रोग्राम में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के निदेशक बीएम शर्मा ने मानवाधिकार में गांधी के दर्शन शास्त्र का महत्व बताया। वहीं विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने विधानसभा के कामकाज की जानकारी दी। प्रोग्राम में बांग्लादेश, कंबोडिया, गाम्बिया, घाना, गिनी, इराक, किर्गिस्तान, मैसेडोनिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, सेशेल्स, श्रीलंका, ताजाकिस्तान, तंजानिया, उरुग्वे और जिम्बाब्वे से प्रतिनिधि आए। प्रोग्राम में स्वागत भाषण उप सचिव सीमा शर्मा ने और आयोग के रजिस्ट्रार शैलेन्द्र व्यास ने धन्यवाद दिया।

सभी देशों में मानवाधिकार उल्लंघन, संरक्षित करना राज्य का कर्तव्य : न्यायाधीश व्यास

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . सभी देशों में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और ऐसे में यह सवाल है कि मानव अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जा सके। मानव अधिकारों को संरक्षित करना सरकार का कर्तव्य है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने यह बात बुधवार को 36 वें इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में कही। इसका आयोजन राज्य मानवाधिकार आयोग, संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की ओर से किया गया। कार्यक्रम में बांग्लादेश, कंबोडिया, गाम्बिया, घाना, गिनी, इराक, किर्गिस्तान, मैसेडोनिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, सेशेल्स, श्रीलंका, ताजाकिस्तान, तंजानिया, उरुग्वे और जिम्बाब्वे से प्रतिनिधि आए।

न्यूजलेटर का अनावरण करते हुए न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास।

न्यायाधीश व्यास ने राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना व इंदिरा रसोई योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं को अच्छा बताते हुए कहा कि राज्य सरकार निशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया करा रही है।

इस अवसर पर एक न्यूजलेटर का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के निदेशक बीएम शर्मा ने मानवाधिकार में गांधी के दर्शन शास्त्र का महत्व बताया। विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने विधानसभा के कामकाज की जानकारी दी। आयोग के रजिस्ट्रार शैलेन्द्र व्यास ने कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

HUMAN RIGHTS CONCLAVE

Justice Vyas praises Raj Govt schemes

Kamal Kant Vyas

Jaipur: Delegates from 17 countries and 44 international delegates took part in an international training programme on human rights organised by Rajasthan State Human Rights Commission in collaboration with Parliamentary Democracy Research and Training Institute with the support of Rajasthan Legislative Assembly.

Representatives from Bangladesh, Cambodia, Gambia, Ghana, Iraq, Kyrgyzstan, Macedonia, Maldives, Myanmar, Nepal, Seychelles, Sri Lanka, Tajikistan, Tanzania, Uruguay and Zimbabwe attended the training programme.

The International Conference was presided over by Justice Gopal Krishna Vyas, Chairman, Rajasthan State Human Rights Commission.

Justice Vyas talked about the Indian Constitution and the freedom of life and expression in it. While praising the state government, he said that good schemes like Chiranjeevi Yojana and Indira Rasoi Yojana are being run in Rajasthan.

Justice GK Vyas along with Mahesh Gael, Mahavir Prasad Sharma, BM Sharma and Sanyam Lodha along with Dr Prashakha Mathur and Mr Shelendra Vyas during the conclave on Wednesday.

मानवाधिकार पर संवादात्मक सत्र का आयोजन -17 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग

जयपुर/ लोकमत। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा संवादात्मक सत्र का बुधवार को जयपुर स्थित होटल में आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.के. व्यास ने महात्मा गांधी के सिद्धांत 'मानव की मानवता, मानव होने में नहीं, मानवीय होने में है' पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में राजस्थान सरकार का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है। राज्य में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत नि:शुल्क ईलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है, इंदिरा रसोई योजना के तहत लोगों को आसानी से पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। न्यायमूर्ति व्यास ने इस दौरान आयोग की त्रैमासिक पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर इंदिरा रसोई में सपत्नीक भोजन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के छायाचित्र को इंगित करते हुए विदेशी गणमान्यगण को कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसा करके मानवता का परिचय दिया है। मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने सत्र को संबोधित करते हुए विश्व और भारत में मानवाधिकारों से संबंधित इतिहास की जानकारी दी।